Nav Jyoti
An International Multidisciplinary Journal
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.14, N. 29, Sept. 2026
DOI: https://doi.org/10.68868/1429nj04
https://navjyotijournal.in/web_dih

सतत विकास एवं सशक्त समाज के निर्माण में लैंगिक समानता की भूमिका

डॉ. सुप्रिया पाण्डेय
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय हर्ष नगर कानपुर
supriyapandey586@gmail.com

शोध सारांश:

लैंगिक समानता आधुनिक लोकतांत्रिक, समतावादी एवं कल्याणकारी समाज की एक मूलभूत और अपरिहार्य आवश्यकता है। इसका निहितार्थ केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच सतही तौर पर समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक बुनियादी क्षेत्र - जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार, आर्थिक संसाधन, पैतृक संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी, निर्णय-निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक सम्मान - में समान अधिकार, अवसर और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करना है।

वैश्विक स्तर पर सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा भी तभी सार्थक हो सकती है जब विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की समान भागीदारी हो और विकास के लाभों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य-5 (SDG-5) का केंद्रीय उद्देश्य ही लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को पूर्णतः सशक्त बनाना है। प्रस्तुत शोध-पत्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कानूनी ढांचे, अग्रणी सरकारी योजनाओं तथा मीडिया व युवाओं की भूमिका का गहन विश्लेषण करता है। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि लैंगिक समानता को केवल 'महिला कल्याण' या दया के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकार, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास की केंद्रीय रणनीति के रूप में देखा जाना अनिवार्य है।

(Keywords): *लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य-5 (SDG-5), सशक्त समाज, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, पितृसत्तात्मक संरचना, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक, बहुआयामी मॉडल।*

1. प्रस्तावना

21वीं सदी का वैश्विक समाज तीव्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, तीव्र औद्योगीकरण और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) ने मानव विकास और प्रगति के अभूतपूर्व अवसर उत्पन्न किए हैं। किंतु, कटु सत्य यह है कि इन आधुनिक अवसरों और संसाधनों तक समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की समान पहुँच अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति इस सामाजिक-आर्थिक असमानता को समझने का एक सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट आधार प्रस्तुत करती है। लैंगिक असमानता केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है; यह परिवार, प्राथमिक व उच्च शिक्षा, श्रम बाजार, मुख्यधारा की राजनीति, सांस्कृतिक प्रथाओं, मीडिया प्रस्तुतीकरण, बुनियादी स्वास्थ्य, संपत्ति के स्वामित्व और नीतिगत निर्णय-निर्माण जैसे अनेक सामाजिक संस्थानों में गहरे तक व्याप्त दिखाई देती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि विश्लेषण किया जाए, तो लैंगिक असमानता केवल कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत भेदभाव या पूर्वाग्रह का परिणाम नहीं है। बल्कि, यह हमारे समाज की ऐतिहासिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं, पारंपरिक शक्ति-संबंधों और संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा निर्मित और पोषित होती है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी समाजशास्त्रीय आधार को रेखांकित करते हुए लैंगिक समानता को एक न्यायपूर्ण, सतत और सशक्त समाज की अनिवार्य पूर्वशर्त के रूप में स्थापित करता है।

2. साहित्य सर्वेक्षण

लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के क्रमिक विकास को समझने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हुए ऐतिहासिक, कानूनी और सांख्यिकीय प्रयासों का सर्वेक्षण करना आवश्यक है:

• **वैश्विक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों के संगठित संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। सन 1848 का सेनेका फॉल्स कन्वेंशन आधुनिक महिला अधिकार आंदोलन के इतिहास में सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहाँ से महिलाओं के मताधिकार और सामाजिक बराबरी की मांग ने जोर पकड़ा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मील के पत्थर साबित होने वाले प्रयासों में 1975 का प्रथम विश्व महिला सम्मेलन (मेक्सिको), 1979 का सिडॉ (CEDAW), 1995 का बीजिंग घोषणा पत्र तथा 2015 के सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक के वैश्विक एजेंडे में लैंगिक समानता (SDG-5) को विकास की धुरी माना है।

• **भारतीय संवैधानिक एवं ऐतिहासिक ढाँचा:** भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चेतना जागृत की। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के माध्यम से लैंगिक समानता को एक मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया।

• **वर्तमान सांख्यिकीय स्थिति (वैश्विक सूचकांक):** वैश्विक स्तर पर प्रगति के दावों के बावजूद संरचनात्मक लैंगिक अंतर आज भी एक कड़वी हकीकत है। विश्व आर्थिक मंच) द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर 131वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का समग्र जेंडर गैप स्कोर 64.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यद्यपि भारत ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन 'आर्थिक भागीदारी एवं अवसर' तथा 'राजनीतिक सशक्तिकरण' के क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है।

3. शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है:

1. लैंगिक समानता की सैद्धांतिक अवधारणा तथा इसके पीछे के समाजशास्त्रीय आधार एवं 'जेंडर' व 'सेक्स' के अंतर को स्पष्ट करना।

2. सतत विकास की अवधारणा और लैंगिक समानता के बीच के गहरे संरचनात्मक संबंधों का विश्लेषण करना।

3. भारत में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्यगत और राजनीतिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करना।

4. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता, और पैतृक संपत्ति के अधिकारों की भूमिका को गहराई से समझना।

5. प्रमुख महिला-केंद्रित संवैधानिक प्रावधानों और केंद्र सरकार की समकालीन योजनाओं (जैसे- मिशन शक्ति) के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

6. लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक-संरचनात्मक चुनौतियों (जैसे पितृसत्ता, डिजिटल विभाजन, अवैतनिक श्रम) की पहचान करना।

7. समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मीडिया, युवाओं, पुरुषों और लड़कों की भूमिका को रेखांकित करना तथा व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रस्तुत करना।

4. शोध प्रविधि

यह शोध मुख्य रूप से वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन में प्राथमिक डेटा एकत्र करने के बजाय व्यापक स्तर पर उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों और प्रामाणिक दस्तावेजों का गहन विश्लेषण किया गया है।

5. सतत् विकास एवं सशक्त समाज में लैंगिक समानता की स्थिति

सशक्त समाज का निर्माण और सतत विकास के सभी आयाम महिलाओं की स्थिति से सीधे जुड़े हैं। इसका बहुआयामी विश्लेषण निम्नलिखित उप-शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है:

I) आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार

वित्तीय और आर्थिक स्वतंत्रता ही किसी भी प्रकार के महिला सशक्तिकरण का केंद्रीय स्तंभ है। जब तक कोई महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, तब तक उसकी निर्णय लेने की क्षमता सीमित रहती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को सूक्ष्म-बचत, संस्थागत ऋण, लघु उद्यमिता और सामूहिक निर्णय-निर्माण से जोड़कर एक मूक क्रांति का सूत्रपात किया है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं और पुरुषों के बीच सहभागिता की दर में भारी अंतर है। इसके पीछे मुख्य रूप से अवैतनिक देखभाल कार्य का अत्यधिक बोझ, समान कार्य के लिए लैंगिक वेतन अंतर, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का अभाव तथा सामाजिक रूढ़ियाँ जिम्मेदार हैं। वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण में केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि पैतृक संपत्ति पर वास्तविक अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग और सीधे बाजार तक पहुँच शामिल होनी चाहिए।

II) शैक्षणिक सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन

शिक्षा केवल साक्षर होना नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समानता और चेतना जागृत करने का सबसे अचूक और प्रभावी उपकरण है। एक शिक्षित महिला अपने जीवन और शरीर से जुड़े निर्णय अधिक स्वतंत्रता से ले सकती है। बालिका शिक्षा का सीधा सकारात्मक संबंध समाज में बाल विवाह की दरों में कमी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर (MMR & IMR) में सुधार, बेहतर पोषण और परिवार की आर्थिक समृद्धि से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भी पूरी तरह से समावेशी, समतावादी और समान अवसर आधारित शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देती है। हालांकि, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की इंटरनेट, स्मार्टफोन और तकनीकी कौशल (Digital Skills) तक सीमित पहुँच के कारण उत्पन्न 'डिजिटल जेंडर डिवाइड' को पाटना आज भी एक बड़ी चुनौती है।

III) स्वास्थ्य, पोषण और जीवन-चक्र दृष्टिकोण

महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा केवल प्रसव या मातृत्व तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके प्रति एक व्यापक जीवन-चक्र दृष्टिकोण (Life-Cycle Approach) अपनाना आवश्यक है, जो कि किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की भारतीय महिलाओं में एनीमिया (रक्तअल्पता) की व्यापकता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनी हुई है। इसके साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की कमी, बार-बार गर्भधारण, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता (Menstrual Hygiene) के साधनों का अभाव और घरेलू हिंसा जनित मानसिक तनाव भी महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

IV) राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व और वास्तविक शक्ति

राजनीतिक क्षेत्र में समानता किसी भी जीवंत लोकतंत्र की परिपक्वता और गुणवत्ता का सबसे बड़ा संकेतक होती है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% (कई राज्यों में 50%) आरक्षण को संस्थागत आधार दिया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों ग्रामीण महिलाएँ स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा बनी हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह दर्शाती है कि कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरुष रिश्तेदार (पति या पिता) वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसे 'प्रधान-पति' संस्कृति कहा जाता है। अतः महिलाओं को वास्तविक निर्णयकारी शक्ति, नीतिगत प्रशिक्षण और प्रशासनिक नियमों की गहन जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

V) महिला सशक्तिकरण का बहुआयामी मॉडल

वास्तविक और टिकाऊ लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़े हुए बहुआयामी मॉडल के रूप में देखना होगा:

VI) सफलता के व्यावहारिक प्रतिमान

• **केरल का सामाजिक मॉडल:** केरल में महिला साक्षरता की उच्च दर, बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक और 'कुडुम्बश्री' (Kudumbashree) जैसे विशाल स्वयं सहायता समूह नेटवर्क ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ बनाया है।

• **'सेवा' (SEWA - Self Employed Women's Association):** इला भट्ट द्वारा स्थापित इस संगठन ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली गरीब महिलाओं को ट्रेड यूनियन, ऋण, सूक्ष्म-बीमा, कानूनी सहायता और सीधे बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है।

• **अमुल सहकारिता मॉडल:** श्वेत क्रांति के अंतर्गत अमुल डेयरी मॉडल ने ग्रामीण भारत की लाखों महिलाओं को दुग्ध उत्पादन और सहकारी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़कर उनके हाथों में सीधे वित्तीय शक्ति सौंपी है।

• **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रवांडा का उदाहरण:** अफ्रीका के रवांडा देश ने अपनी संसद में महिलाओं को विश्व में सबसे अधिक (>60%) राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर नीति-निर्माण में महिलाओं के नेतृत्व का एक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है।

6. निष्कर्ष

इस गहन अध्ययन और विश्लेषण से यह अकाट्य रूप से स्पष्ट होता है कि लैंगिक समानता और सतत विकास (Sustainable Development) के बीच एक गहरा, अटूट और संरचनात्मक संबंध है। आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है; शिक्षा उनकी निर्णय क्षमता और स्वायत्तता को बढ़ाती है; स्वास्थ्य में सुधार से मजबूत मानव पूंजी का निर्माण होता है; और राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाता है।

भारत ने अपने प्रगतिशील संवैधानिक प्रावधानों, हालिया कानूनी सुधारों, पंचायती राज में आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन और विभिन्न महत्वाकांक्षी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं (जैसे- 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य घटक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके बावजूद, पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक हिंसा, श्रम बाजार में वेतन का भारी अंतर, अवैतनिक घरेलू श्रम का असमान बोझ, डिजिटल विभाजन और सामाजिक रूढ़ियाँ आज भी सशक्त समाज के निर्माण में सबसे बड़ी और कठोर संरचनात्मक बाधाएं हैं। अतः लैंगिक समानता को सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकार, आर्थिक समृद्धि और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के एक केंद्रीय और अपरिहार्य सिद्धांत के रूप में संपूर्ण समाज द्वारा पूर्णतः स्वीकार और आत्मसात करना होगा।

संदर्भ सूची

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन. (2018). वैश्विक श्रम बाजार में लैंगिक असमानताः चुनौतियाँ और समाधान की रणनीतियाँ. आई.एल.ओ. प्रकाशन।

2. इला भट्ट. (2024). असंगठित क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण: 'सेवा' (SEWA) model का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. अकादमिक प्रेस।

3. केरल राज्य योजना बोर्ड. (2023). कुडुम्बश्री और सामाजिक समावेशनः केरल का महिला सशक्तिकरण मॉडल. नीति और योजना प्रभाग।

4. नीति आयोग, भारत सरकार. (2025). सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक: जेंडर गैप और राज्यों की प्रगति रिपोर्ट 2024. भारत सरकार।

5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2025). मिशन शक्ति दिशानिर्देशः महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण (संबल एवं सामर्थ्य). भारत सरकार।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2026). भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बालिका शिक्षा का बदलता स्वरूप. भारत सरकार।

7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2026). डिजिटल विभाजन और ग्रामीण महिलाएँ: चुनौतियों का नीतिगत विश्लेषण. भारत सरकार।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21: भारत रिपोर्ट. भारत सरकार।

9. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (2015). मानव विकास रिपोर्ट: सतत विकास लक्ष्य 2030 का वैश्विक एजेंडा. यू.एन.डी.पी.।

10. संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women). (2023). बीजिंग घोषणा पत्र के 25 वर्ष बादः वैश्विक लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति. संयुक्त राष्ट्र ।

11. विश्व आर्थिक मंच. (2025). ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025: वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक और देश-वार रैंकिंग. डब्ल्यू.ई.एफ.।

12. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2024). महिलाओं में पोषण और एनीमिया की वैश्विक चुनौतीः एक जीवन-चक्र दृष्टिकोण. डब्ल्यू.एच.ओ.।